संख्या-86/2026/I/1469875/2026/001-71-2099-1150-2020

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-21 सितंबर, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हीमोफीलिया रोग की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु उ0प्र0 हीमोफीलिया कार्यक्रम के अन्तर्गत एंटी हीमोफिलिया फैक्टर्स की खरीद हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 1800.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2026-27/I/611922/2026, दिनांक 27.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हीमोफीलिया रोग की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु उ0प्र0 हीमोफीलिया कार्यक्रम के अन्तर्गत एंटी हीमोफीलिया फैक्टर्स की खरीद हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 1800.00 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित धनराशि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त मरीजों की निःशुल्क चिकित्सा उपचार हेतु लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-19-हीमोफीलिया रोग की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु मानक मद-39-औषधि तथा रसायन में रू0 1800.00 लाख (रुपये अठ्ठारह करोड़ मात्र)निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है:-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि को बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
2. स्टेट नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लम्बित धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केन्द्रीयकृत पद्धति के आधार पर स्टेट नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अन्य संस्थाओं को आवश्यकतानुसार औषधि एवं रसायन का वितरण किया जायेगा।
5. स्टेट नोडल अधिकारी, हीमोफीलिया, एस0जी0पी0जी0आई0/ महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ लाभार्थियों की सूची भी शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. वांछित औषधि/सामग्री के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. क्रय किये जाने वाले औषधियों/सामग्रियों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों की जिम्मेदारी स्टेट नोडल अधिकारी, हीमोफीलिया, उ0प्र0 की होगी।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिल पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 18,00,00,000 (रुपये अठारह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050319 हीमोफीलिया रोग की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा **मानक मद** 39 औषधि तथा रसायन के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-86/2026/।/1469875/2026/001-71-2099-1150-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
8. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
9. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द् कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in